

प्रेषक,

सुरेश चन्द्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खादी एवं ग्रामोद्योग अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक: 16 अप्रैल, 2019

वषय:- खादी एवं ग्रामोद्योग परिषद को वत्तीय वर्ष 2019-20 में बोर्ड अधष्ठान मद हेतु प्रावधानित धनराश के सापेक्ष प्रथम छः माह हेतु वत्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त वषयक 30प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक-51/खा0ग्रा0बो0/लेखा-बजट/2019-20 दिनांक 08.04.2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वत्तीय वर्ष 2019-20 में 30प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के अधष्ठान मदों के खर्चों को वहन करने हेतु प्रावधानित धनराश रू0 1127.00 लाख (रूपये ग्यारह करोड़ सत्ताईस लाख मात्र) के सापेक्ष प्रथम छः माह हेतु धनराश रू0 563.50 लाख (रूपये पांच करोड़ तिरसठ लाख पचास हजार मात्र) की धनराश संलग्न फाट के अनुसार अनुदान के रूप में स्वीकृत किये जाने हेतु 30प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, अधिनियम, 1960 (यथा संशोधित) 1983 की धारा-23 (1) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल सहर्ष वत्तीय स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त स्वीकृत धनराश समय-समय पर निर्गत शासनादेशों तथा वत्तीय नियमों के अधीन व्यय की जायेगी। धनराश का कोषागार से आहरण के एकमुश्त न कर मासिक आवश्यकता के अनुसार संलग्न फाट के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से किया जायेगा। प्रति माह व्यय की गई धनराश का व्यय-ववरण प्रपत्र बी0एम0-8 में दो प्रतियों में शासन के खादी एवं ग्रामोद्योग अनुभाग-2 तथा सचिव, वत्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराश का व्यय शासन द्वारा इस शासनादेश के साथ संलग्न मानक मदों के अनुरूप किया जायेगा।

4- उक्त स्वीकृत धनराश का उपयोगता प्रमाण पत्र वत्तीय नियम संग्रह- 5 भाग-1 के प्रस्तर 369 एच के अनुसार निर्धारित प्रारूप में महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, 30प्र0 इलाहाबाद एवं अन्य को अवश्यमेव उपलब्ध कराया जायेगा।

5- उक्त स्वीकृत धनराश का लेखा महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, 30प्र0 इलाहाबाद व मनोनीत कसी अन्य अधिकारी द्वारा जांच के लिए उपलब्ध रहेगा। यह लेखा कम्प्यूटर एण्ड आडीटर जनरल भारत सरकार या उनके द्वारा मनोनीत कसी अन्य अधिकारी द्वारा टेस्ट आडिट के लिये भी उपलब्ध रहेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

6- आहरण- वतरण अ धकारी प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनरा श का व्यय करते समय शासकीय व्यय में मतव्ययिता बरतने वषयक शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में निहित निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

7- उपर्युक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनरा श का व्यय वर्तमान वत्तीय वर्ष 2019-20 की अनुदान संख्या-5 के लेखाशीर्ष "2851-ग्राम तथा लद्यु उद्योग-105-खादी ग्रामोद्योग-03-खादी तथा ग्रामोद्योग परिषद को सहायता-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामें डाला जायेगा।

8- यह आदेश वत्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में प्रदत्त निर्देशों के क्रम में जारी कये जा रहें है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(सुरेश चन्द्र)

संयुक्त स चव।

संख्या- 21 /2019/314(1)/59-2-2019-8(खा)/2017 तददिनांक

प्रति ल प निम्न ल खत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषत।

- 1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, द्वितीय, 30प्र0 इलाहाबाद।
- 2- मुख्य कार्यपालक अ धकारी, 30प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड लखनऊ।
- 3- मुख्य कोषा धकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 4- निदेशक, वत्तीय एवं सांख्यिकी निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
- 5- वत्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वत्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, 30प्र0 शासन।
- 6- निदेशक स्थानीय नि ध लेखा परीक्षा वभाग, 30प्र0 इलाहाबाद।
- 7- उप निदेशक, एन0आई0सी0 (प्रशासनिक भवन) ई-फ्लोर, छठा तल योजना भवन, लखनऊ।
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुरेश चन्द्र)

संयुक्त स चव।

शासनादेश संख्या- 21/2019/314/59-2-2019-8(खा)/2017, दिनांक 16 अप्रैल, 2019 का संलग्नक

लेखाशीर्षक

2851-ग्राम तथा लघु उद्योग

105- खादी ग्रामोद्योग

03- खादी तथा ग्रामोद्योग परिषद को सहायता

20- सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)

(धनराशि रुपये लाख में)

कोड	मद का नाम	वर्तीय वर्ष 2019-20 के प्रथम छः माह हेतु फॉट का ववरण
4	यात्रा भत्ता	15.00
5	स्थानान्तरण यात्रा भत्ता	3.50
45	अवकाश यात्रा व्यय	1.00
8	कार्यालय व्यय	40.00
9	वद्युत व्यय	30.00
10	जलकर/जल प्रभार	3.00
11	लेखन सामाग्री/फार्म छपायी	15.00
12	कार्यालय फर्नीचर उपकरण मरम्मत	64.95
13	टेलीफोन व्यय	7.50
15	गाड़ी अनुरक्षण एवं पेट्रोल	75.00
16	व्यवसायिक एवं विशेष सेवा हेतु अनुदान	15.00
17	कराया उपशुल्क कर एवं स्वा मत्व	25.00
7	मानदेय	7.50
2	मजदूरी	63.80
18	प्रकाशन	2.50
29	अनुरक्षण	30.00
41	भोजन व्यय	5.00
42	अन्य व्यय	3.00
44	प्र शक्षण व्यय	1.50
46	कम्प्यूटर हार्डवेयर/ सॉफ्टवेयर	5.00
47	कम्प्यूटर अनुरक्षण एवं स्टेशनरी क्रय	10.00
51	वर्दी व्यय	0.25
49	च कत्सा सु वधा	40.00
58	आउटसोर्सिंग सेवार्य हेतु भुगतान	100.00
	योग	563.50

(रु० पांच करोड़ तिरसठ लाख पचास हजार मात्र)

(सुरेश चन्द्र)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।